जगदीश बनाम दानाराम

दिनांक	आज्ञा पत्र	
20/8/24	पत्रावली पेश। वकील उपस्थित हैं। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 2/9/24 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
2/9/24	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 3.9.24 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
3/9/24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट रिमाण्ड की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 99/2022

1 जगदीश पुत्र भींवाराम उम्र 37 साल जाति जाट निवासी चैलासी तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 दानाराम पुत्र नोलाराम जाति जाट निवासी चैलासी तहसील धोद जिला सीकर।
2 उपपंजीयक धोद तहसील धोद जिला सीकर।
3 तहसीलदार धोद तहसील धोद जिला सीकर।
4 बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा किरडोली जरिए शाखा प्रबंधक

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर दावा संख्या 15/2021 उनवानी दानाराम बनाम जगदीश आदि दिनांकित 04.07.2022

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सज्जन सिंह कविया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 03.9.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 15/2021 में पारित निर्णय दिनांक 04.07.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर के समक्ष अपीलाधीन वाद बाबत बंटवारा तथा स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ ग्राम चैलासी तहसील धोद की तन में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 311 रकबा 3.44 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 311/578 रकबा 0.76 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 4.20 हैक्टेयर के संबंध में अपील के अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 को प्रतिवादी के रूप में पक्षकार संयोजित करते हुए दिनांक 02.02.2021 को विचारण न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये। प्रतिवादी/अपीलांट की ओर से जरिए वकील उपस्थित आए और दिनांक 03.12.2021 को जवाब पेश किया। प्रतिवादी/अपीलांट की ओर से जवाब पेश करने के बाद शेष प्रतिवादीगण की तलबी के बाबत किसी प्रकार का कोई आदेश पारित किये बिना ही पत्रावली में तनकीयात हेतु तारीख निर्धारित की गई और दिनांक 04.07.2022 को पत्रावली में तनकीयात कायम किये बिना ही एवं किसी प्रकार की साक्ष्य लिये बिना ही पत्रावली में दिनांक 04.07.2022 को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई। इससे व्यथित होकर यह धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांटस एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के संयुक्त खाते, कब्जे काश्त की कृषि भूमियां खसरा नम्बर 311 रकबा 3.44 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 311/578 रकबा 0.76 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 4.20 हैक्टेयर वाके ग्राम चैलासी तहसील धोद जिला सीकर की तन में अवस्थित है, के संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उपरोक्त भूमियों के बंटवारे एवं स्थायी निषेधाज्ञा निमित अपीलाधीन वाद संख्या 15/2021 उनवानी दानाराम बनाम जगदीश आदि प्रस्तुत किया गया। जिसमें अपीलांट ने श्री सुरेश कुमार बाजिया एडवोकेट को अपना वकील नियुक्त करके निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 03.03.2021 को अपनी ओर से वकालतनामा प्रस्तुत करवाया। दिनांक 03.03.2021 को अपीलांट के वकील साहब ने अपीलांट को यह आश्वासन दिया कि यह राजस्व प्रकृति का मामला है। प्रकरण में अभी पक्षकारों की तामील होना शेष है। इसके पश्चात अपनी ओर से जवाब प्रस्तुत किया जावेगा। जिसके लिए आपको सूचित करके बुला लिया जावेगा, आपको तारीख पेशी पर आने की जरूरत नहीं है, पैरवी जरिए वकील की जाती रहेगी। परन्तु अपीलांट के वकील साहब ने बिना अपीलांट की सहमति बिना ही अपीलांट की सहमति स्वरूप अपने हस्ताक्षर आदेशिका पर कर दिये तथा विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा न्याय के सिद्धान्तों के विपरित जाकर दिनांक 04.07.2022 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। जबकि पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि दिनांक 04.07.2022 को पत्रावली तनकीयात में नियत थी। तनकीयात बनाये बिना ही आदेशिका में कांट छांट कर दिनांक 04.07.2022 को अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है। जिससे यह प्रमाणित है कि विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने पद का मनमर्जी से उपयोग करते हुए अपीलाधीन निर्णय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

व प्राथमिक डिक्री अपीलांट के वकील श्री सुरेश बाजिया एडवोकेट से मिलीभगत करते हुए बिना अपीलांट की किसी सहमति के बिना पारित कर दी गई है। दिनांक 04.07.2022 को पत्रावली तनकीयात में नियत थी। विद्वान विचारण न्यायालय को पत्रावली में तनकीयात कायम की जाकर एवं साक्ष्य लेकर प्रकरण में निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी करनी चाहिए थी, लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय ने बिना तनकीयात कायम किये बिना ही व बिना किसी प्रकार की साक्ष्य लिए बिना ही मनमर्जी से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित किये जाने से पूर्व न तो समस्त पक्षकारान की तलबी बाबत आदेश पारित किये गये तथा न ही उनकी तलबी बंद करने बाबत किसी प्रकार का कोई आदेश दिया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही वाद में अपनायी जाने वाली प्रक्रियात्मक विधि के आदेशात्मक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए सम्पादित की गई है। इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री स्थिर रहने योग्य नहीं है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की जा रही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में पक्षकारो के मध्य विभाजन का वाद था। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय के निर्णय से अपीलांट के हित प्रभावित नहीं हो रहे है। विचारण न्यायालय के आदेश की पालना में उभयपक्ष की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना है। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट को आपत्ति प्रस्तुत करने अवसर प्राप्त है। विचारण न्यायालय में अपीलांट की उपस्थिति रहीं है। इसके उपरांत भी अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में पत्रावली कायमी तनकीयात में चल रही थी। विचारण न्यायालय ने तनकी कायम किये बिना साक्ष्य प्राप्त किये बिना विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के प्रति प्रेषित किया जाता है कि तनकी कायम कर, साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.09.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 03.9.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर